मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

# फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ...उपखण्डाधिकारी... सिकराय ...(दौसा)...

रामधन
सरकार बनाम ...रमेश वगैरह...

नम्बर मुकदमा ...88, 188 RTA... मु० नं० ...195/21...

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21/1/22 | पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व बहस का अवलोकन किया गया।<br>वाद अनुसार ग्राम जगसहायपुरा के खाता सं. 51 व 52 की खातेदारी भैरया पुत्र अमरा ब्राह्मण के नाम दर्ज है। उक्त खाताओं के रहन मुक्ति व खातेदारी घोषणा का अनुतोष वादीगण चाहते हैं।<br>वादीगण रामधन वगैरह जाति से कुम्हार हैं। वो लगातार कब्जा के आधार खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहते हैं।<br>राजस्थान काश्तकारी अधि. के प्रावधानों अनुसार विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा की अधिकारिता राजस्व न्या. को प्राप्त नहीं है।<br>अतः वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।<br><br>Sd/-<br>(रणजीत सिंह)<br>21.1.22 | |